

1273
B
28-6-23

JDA APPROVED SCHEME
"RIYASAT TOWN - II"

JDA APPROVED SCHEME
"RIYASAT TOWN - II"

PARK
2167.40
SQ.MT.

FACILITY
2185.78
SQ.MT.

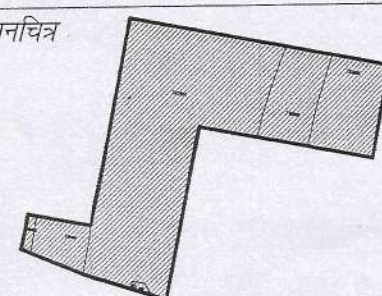
723/656

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक

सर्वेक्षण क्षेत्र 2022 से अद्यतन
अक्षर संख्या को निर्दिष्ट करें -
1. क्षेत्र संख्या 1000
2. क्षेत्र संख्या 1000
3. क्षेत्र संख्या 1000
4. क्षेत्र संख्या 1000

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	10540.51	48.67 %
2.	EWS & LIG	1065.48	04.92 %
3.	RETAIL	108.00	0.50 %
TOTAL = 1+2+3		11713.99	54.09 %
4.	PARK	2167.40	10.01 %
5.	FACILITY	2185.78	10.09 %
6.	S.W.M.	50.00	0.23 %
7.	MOBILE TOWER	20.04	0.09 %
8.	P.U. (TOILET)	110.02	0.05 %
9.	ROAD	5508.77	25.44 %
TOTAL = 4 TO 10		9942.01	45.91 %
SCHEME AREA		21656.00	100.00 %
		02.1656 HECT.	

योजना की भूमि को सचुरा अधिनियम की धारा 80 ए की
विवरणों एवं नोडों पर भूमि का प्रमाणिकरण से द्वारा किया गया।
योजना की भूमि पूर्ण प्राधिकरण में निर्मित हो चुकी है।

योजना का नाम :-
"RIYASAT TOWN - II EXTENSION"
IN KHASRA NO. 659, 718/655, 721/654, 723/656, 726/652, 728/653
AT VILLAGE - RAMPURA WAS GONER, TEH.- CHAKSU, JAIPUR.

जोन संख्या = 14
कैमाना = 1:500

सहयक
नगर नियोजक

अति सहयक
नगर विकास प्राधिकरण

वरिष्ठ
नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT
Cad Max
PROJECTS (P) LTD.

नोट:-

- राजस्व ग्राम रामपुरा बास गोनेर तहसील चकसु जिला जयपुर के कुल किता 06 रकबा 02.1656 हेक्टर, भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2022-23/102364 दिनांक 13.02.2023 को की गई है जिसकी प्रति 55/सी पर संलग्न है।
- योजना की भूमि में रामपुरा अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा द्वारा 44/सी के अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार भू-उपयोग U-2 HIZ दर्शित है।
- योजना रियासत टाउन-2 विकास का अनुसूचत क्षेत्र (एलसी) की 332वीं बैठक दिनांक 06.04.2023 में किया गया है। जिसकी अनुमति में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना में भूदत्त व्यावसायिक क्षेत्र का विकास नहीं है।
- योजना में भूदत्त व्यावसायिक क्षेत्र का विकास नहीं है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर जलिया विनियम 2020 के अनुसार देय होगा।
- आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रहन रखे जाते हैं:-
भू.सं. 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 70, 71, 72, 76 कुल भूखण्ड 12 कुल क्षेत्रफल 1533.13 वर्गमीटर

AMIN (ZONE-14)

A.T.P. (ZONE-14)

T.D.R. (ZONE-14)

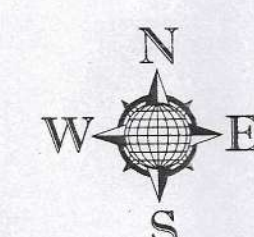
D.C. (ZONE-14)

B.P.C. (L.P.)

B.P.C. (L.P.)

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"RIYASAT TOWN - II EXTENSION"

IN KHASRA NO.- 659, 718/655, 721/654, 723/656, 726/652, 728/653.
AT VILLAGE :- RAMPURA WAS GONER, TEH.- CHAKSU, JAIPUR.



CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, 3rd Floor, Brijesh Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi, Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9828042072